

**भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)**

**No.E(NG)I-2003/PM1/37**

**New Delhi, dated 18 .03.2010**

**The General Managers (P)  
All Indian Railways & PUs.**

**Sub:- Retention period of evaluated Answer Sheets of examination conducted for Departmental Promotions – Promotions within and to Group 'C' posts & Suitability Test for C.G. appointments.**

The issue of laying down guidelines for retention period for evaluated answer sheets of written examinations conducted as a part of Selection/Suitability Test etc. for making promotions within & to group 'C' Posts, as well as Suitability Tests for compassionate ground appointments, has been engaging Board's attention for quite some time. The matter has accordingly been considered and it has been decided that retention period for evaluated answer sheets in above mentioned cases shall be :-

(i) One year from the date of publication of panel;

OR

(ii) till panel exhausts;

OR

(iii) till finalization of complaints/investigation/court cases against the Selection/Suitability Test, if any;

whichever of the above three is later.

1.1 It may, however, please be ensured that vigilance clearance is obtained before the evaluated answer sheets are weeded out.

Please acknowledge receipt.

  
(D. V. Rao)

Joint Director Estt.(N)  
Railway Board.

... 2/-

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एनजी)I-2003/पीएम1/37

नई दिल्ली, दिनांक: 18.03.2010

महाप्रबंधक (कार्मिक),  
सभी भारतीय रेलें एवं  
उत्पादन ईकाईयां।

**विषय:** विभागीय पदोन्नतियों के लिए आयोजित परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की रिटेंशन अवधि - समूह 'ग' पदों के भीतर और समूह 'ग' के लिए पदोन्नतियों और अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए उपयुक्तता परीक्षा।


समूह 'ग' पदों के भीतर और समूह 'ग' के लिए पदोन्नतियों के लिए चयन/उपयुक्तता परीक्षा, इत्यादि के भाग के रूप में और अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए उपयुक्तता परीक्षाओं के लिए आयोजित लिखित परीक्षाओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने की अवधि हेतु मार्गनिर्देश निर्धारित करने संबंधी मुद्दा पिछले कुछ समय से बोर्ड का ध्यान आकर्षित करता रहा है। तदनुसार, मामले पर विचार किया गया और यह विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं की रिटेंशन अवधि निम्नानुसार होगी:-

- (i) पैनल के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष;  
अथवा
- (ii) पैनल के समाप्त होने तक;  
अथवा
- (iii) चयन/उपयुक्तता परीक्षा के संबंध में शिकायतों/अन्वेषण/न्यायालय संबंधी मामलों, यदि कोई हो, को अंतिम रूप दिए जाने तक;

उपरोक्त तीनों में से जो भी बाद में हो।

1.1 बहरहाल, कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट करने से पहले सतर्कता क्लीयरेंस प्राप्त की जाए।

कृपया पावती दें।

  
(डी.वी. राव)  
संयुक्त निदेशक, स्था. (अराज)  
रेलवे बोर्ड

.... 2/-